

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक:- प012(47)वन/2016

जयपुर, दिनांक:- 25 MAY 2018

आदेश

राजस्थान वन सेवा अधिनियम, 1962 के नियम 31(1)(बी) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.5.2018 की अनुशंभानुसार निम्नलिखित उप वन संरक्षकों (सीनियर स्केल) को उपलब्ध उप वन संरक्षक (सलेक्शन स्केल) की रिक्तियों के विरुद्ध कार्यभार संभालने की तिथि से पे-बेण्ड एल-19 (79900-139900) में उप वन संरक्षक (सलेक्शन स्केल) के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.स.	नाम अधिकारी सर्व श्री	चयन वर्ष
1	भवदेव सिंह आंसिया	1.4.2018
2	भोजराज सिंह	1.4.2018
3	प्रेमचन्द जैन	1.4.2018
4	गणेश राम बुरडक	1.4.2018
5	रामनिवास कुमावत	1.4.2018
6	बिजेन्द्र कुमार बिस्सा	1.4.2018
7	अशोक कुमार गुप्ता	1.4.2018
8	हेमन्त सिंह हापावत	1.4.2018
9	देवेन्द्र कुमार भारद्वाज	1.4.2018
10	खेमराज शर्मा	1.4.2018
11	ओम प्रकाश चौधरी	1.4.2018
12	नवनीत कुमार ठाकुर	1.4.2018
13	नरेन्द्र कुमार	1.4.2018
14	रामचद्र सिंह ओगरा	1.4.2018
15	दशरथ सिंह पंवार	1.4.2018
16	बनवारी लाल शर्मा/ब्रदीनारायण	1.4.2018
17	डॉ० भगवान सिंह नाथावत	1.4.2018
18	प्रकाश चन्द कुमावत	1.4.2018
19	भगवान सिंह/मदन सिंह	1.4.2018
20	सुचेक गौड	1.4.2018
21	राकेश कुमार माथुर	1.4.2018
22	पुष्पेन्द्र सिंह कटेला	1.4.2018
23	फतेह सिंह राठौड	1.4.2018
24	शैलेन्द्र सिंह यादव	1.4.2018

25	खुमान सिंह	1.4.2018
26	सुखराम काला	1.4.2018
27	मदन लाल शर्मा	1.4.2018
28	महेश कुमार तिवाडी	1.4.2018
29	नेकी राम जाट	1.4.2018

उक्त अधिकारियों का वेतन निर्धारण राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 के नियम 31(ए) के उप नियम 11(ए) में दिए गए प्रावधानानुसार किया जावेगा। उक्त पदोन्नत अधिकारी यथावत अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भिजवायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, वन मंत्री
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान जयपुर
5. संबंधित अधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान जयपुर
6. रक्षित पत्रावली।

(मनोज कुमार मित्तल)
अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक:- प012(11)वन/2018

जयपुर, दिनांक:- 25 MAY 2018

आदेश

राजस्थान वन सेवा अधिनियम, 1962 के नियम 31(1)(बी) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.5.2018 की अनुशंभानुसार निम्नलिखित उप वन संरक्षकों (सलेक्शन स्केल) को उपलब्ध उप वन संरक्षक (सुपर टाईम स्केल) की रिक्तियों के विरुद्ध कार्यभार संभालने की तिथि से पे-बेण्ड एल-21 (123100-203500) में उप वन संरक्षक (सुपर टाईम स्केल) के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.स.	नाम अधिकारी सर्व श्री	चयन वर्ष
1	उपकार बोराना (एस0सी0)	1.4.2018
2	सुरेन्द्र सिंह राठौड़	1.4.2018
3	महेश चंद गुप्ता	1.4.2018
4	मनफूल सिंह	1.4.2018
5	बेगाराम राम जाट	1.4.2018
6	गणेश कुमार वर्मा	1.4.2018
7	सुहेल मजबूर	1.4.2018
8	पदम सिंह राठौड़	1.4.2018
9	कुमार स्वामी गुप्ता	1.4.2018
10	हरि कृष्ण सारस्वत	1.4.2018
11	देवेन्द्र प्रताप जागावत	1.4.2018
12	संजय प्रकाश भादू	1.4.2018
13	रमेश कुमार मालपाणी	1.4.2018
14	राजेन्द्र कुमार हुड्डा	1.4.2018
15	महेन्द्र कुंमार शर्मा	1.4.2018
16	सुदर्शन शर्मा	1.4.2018
17	मुकेश सैनी	1.4.2018
18	करण सिंह	1.4.2018
19	नरपत सिंह चौधरी	1.4.2018
20	वीरेन्द्र सिंह जोरा	1.4.2018

उक्त अधिकारियों का वेतन निर्धारण राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 के नियम 31(ए) के उप नियम 11(ए) में दिए गए प्रावधानानुसार किया जावेगा। उक्त पदोन्नत अधिकारी यथावत अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भिजवायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, वन मंत्री
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान जयपुर
5. संबंधित अधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान जयपुर
6. रक्षित पत्रावली।

(मनोज कुमार मित्तल)
अनुभागाधिकारी